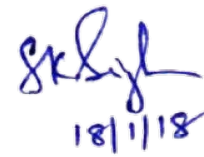


प्रस्तावित स्थल पर कार्य न करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० (भारत सरकार का उद्यम) द्वारा प्रस्तावित 765 के०व्ही० डबल सर्किट उरई से अलीगढ़ पार्ट-4 पैकेज टी०ई०-09 पारेषण प्रणाली के निर्माण हेतु समाजिक वानिकी प्रभाग हाथरस की 1-पीलीभीत-भरतपुर मार्ग(एस०एच०-33)के भाग सिकन्दरसऊ-मथुरा के कि०मी० 196-197 एवं 2- नहर इटावा स्टम्प ग्राम बावस सप्लाई चैनल के कि०मी० 15.500,

तथा

समाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़ की (1)-आगरा-अलीगढ़ मार्ग (एन० एच० 509) के किमी 164-165 के मध्य क्षेत्रफल 0.1340 हे०, (2)-आगरा-मथुरा मार्ग (एस० एच० 80) के किमी 12-13 के मध्य क्षेत्रफल 0.1340 हे०, (3)-गौमत-बाजना मार्ग के किमी 3-4 के मध्य क्षेत्रफल 0.1740 हे० एवं (4)-गंगा कैनल (निचली मांट शाखा) के किमी 3-4 के मध्य क्षेत्रफल 0.2175 हे०, पर प्रभावित संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग में वनभूमि पर वृक्षों को क्षति पहुंचाते हुए कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा ।



S. K. Singh
D.G.M.
Powergrid, Aligarh